IJAER/March-April 2018/Volume-6/Issue-5 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा : स्वतन्त्रता के पूर्व इतिहास व विकास का संक्षिप्त मूल्यांकन

Dr. Mohd Javed

सार–

शिक्षा मानव व राष्ट्रीय विकास का मेरुदण्ड है। शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा मानव निर्माण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत एवं कुशल बनाकर उसे समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जाता है। किसी देश की प्रगति में उस देश की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आरम्भिक कड़ी व आधारशिला है तथा इसका प्रभाव शिक्षा के सभी स्तरों पर परिलक्षित होता है। जितने भी मानव अधिकार बताए गये हैं उनका सही ढ़ग से उपयोग शिक्षा प्राप्त करने से ही सम्भव है। शिक्षा का अधिकार ही सभी अधिकारों के मूल में है। अधिकार स्वयं ही परिणाम देने में समर्थ तब तक नहीं होते जब तक मानवीय क्षमताओं को शिक्षा के द्वारा समुचित विकास न किया जाय।

प्रस्तावना–

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा यह किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश की प्रगति को निर्णायक दिशा देती है। गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रचार–प्रसार द्वारा ही देशके विकास को वांछित गति एवं दिशा दी जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जो सतत् परिवर्तनशील समाज की वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके,तथामनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के साथ–साथ वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक उपयोगी साधन भी हो। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करने के योग्य बनाती है। शिक्षा को ऐसे उपकरण के रूप में भी मान्यता दी गयी है, जिसकी सहायता से समाज में परिवर्तन व विकास के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

शिक्षा के विभिन्न अभियोजनों में प्राथमिक शिक्षा उस माँ के समान है जो अंगुली पकड़कर बच्चे को न केवल चलना सिखाती है बल्कि प्रथम बार उसमें आत्मविश्वास को रोपित करती है। इस प्रकार जीवन की आधारशिला वास्तव में प्राथमिक शिक्षा से रची जाती है। इस अवधि में बच्चों में मस्तिष्क की संवेदनशीलता बढ़ती है और उनका शारीरिक विकास होता है। उनमें जो आदतें एवं सामाजिक विश्वास इस अवधि में पैदा होते हैं, वह सम्पूर्ण जीवन में बना रहता है(पाण्डेय, 2006) ।प्रारम्भिक शिक्षा, विकास के सभी स्तरों का आधार है जिस पर एक बच्चा अपने विकास के प्रारम्भिक वर्षों से होकर अपने जीवन के भविष्य का निर्माण करता है। कोठारी आयोग(1964–66) ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में लिखा है ''प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण देकर इस प्रकार से विकसित करना है कि वह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सके।'' विद्यालय मानव व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की पहचान करके शिक्षा द्वारा उनका संरक्षण एवं विकास करता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भावी जीवन के परिणाम इन्हीं आयामों पर निर्भर करते हैं साथ हीआवश्यकतानुसार

विद्यालयों की उपलब्धता, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, विद्यालयों में समुचित संसाधनों का होना आदि ऐसे मुद्दे हैं, जिनका ध्यान रखना प्रत्येक शिक्षा तंत्र के लिए अनिवार्य है। शिक्षा को सामाजिक समृद्धि, आर्थिक विकास एवं राजनैतिक स्थायित्व के आधार के रूप में भी देखा जाता है। शिक्षा को सम्पूर्ण विश्व में मूलभूत एवं महत्वपूर्ण मानव अधिकार के रूप में महत्व दिया जाता है।मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में शिक्षा मूलभूत मानवाधिकार माना गया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में कौशल, क्षमता, करणीय–अकरणीय का बोध, वैध–अवैध ज्ञान की परख एवं आत्मविश्वास आदि गुणों का विकास होता है, जिससे उसमें अन्य अधिकारों की रक्षा कर सकने की सामर्थ्य विकसित होती है।वैश्विक मानवाधिकार संगठनों एवं सम्मेलनों के माध्यम से 'शिक्षा का अधिकार' अनवरत् बहस के केन्द्र में है। आई. सी.ई.एस.सी.आर. के अनुच्छेद–13 एवं (14) में शिक्षा के अधिकार के बारे में कहा गया है कि ''शिक्षा अपने आप में स्वयं मानव अधिकार है एवं दूसरे मानव–अधिकारों को समझने का एक अनिवार्य साधन है।'' इस प्रकार शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाने से व्यक्ति अपने अन्य अधिकारों को प्राप्त करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सक्षम हो जाता है।

शिक्षा के अधिकार का वैश्विक परिप्रेक्ष्यः–

प्राथमिक शिक्षा केक्षेत्र में यदि वैश्विक परिदृश्य पर ध्यान दिया जाए तो सर्वप्रथम 1842 ई0 स्वीडन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका;1852द्धएनार्वे ;1870द्धएऔर इंग्लैण्ड ;1870द्ध में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू की गयी। यूरोप के अन्य देशों जैसे हंगरी, पुर्तगाल, स्वीटजरलैण्ड ने1905में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। लाल क्रान्ति के बाद रूस ने भी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया।जबकि भारत में ब्रिटिश शासन्था, फिर भी 1813 के आज्ञापत्र के उपरान्त इस दिशा में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा प्रथम प्रयास किया गया और 1854 के घोषणा पत्र में सर्वसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार हुआ। साथ ही 1859 में स्टेनलीकी घोषणा पत्र की सिफारशों से सरकार ने प्राथमिक शिक्षा–कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की चेष्टा की।

शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझते हुए विश्व के अधिकांश देशों का ध्यान शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की ओर आकृष्ट हुआ और यह स्वीकार किया गया कि सभी व्यक्तियों का साक्षर होना जरूरी है 'यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स 1948' के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षाकोमौलिक अधिकार के रूप स्वीकार किया गया। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद–26 में कहा गया कि ''सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी''।

इसके उपरान्त विभिन्न वैश्विक संगठनों एवं सम्मेलनों जैसे यूनेस्को द्वारा आयोजित शिक्षा में भेदभाव के विरूद्ध सभा (1960), अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता (1966), महिलाओं के विरूद्ध सभी भेदभाव की समाप्ति पर हुए सम्मेलन (1981) में इसे जोरदार ढंग से मानव–अधिकार के रूप में सर्मथन मिला।

संयुक्त राष्ट्र के बाल–अधिकार सम्मेलन (1989) ने शिक्षा के अधिकार को व्यापक एवं सशक्त बनाया, सम्मेलन में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया–

- अवसरों के समानता के आधार पर सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो।

- विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाये एवं ड्राप–आउट को कम किया जाये। गरीबी एवं अन्य विभिन्न प्रकार के भेदभाव जैसी बाधाओं को दूर करके गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाये।

अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षाः स्वतन्त्रता के पूर्व इतिहास व विकास

भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए 19वीं सदी के आरम्भ से हीप्रयास किया जा रहा है। सबसे पहला प्रयासवैप्टिस्ट मिशनरी विलियम एडस का था जिन्होंने सन् 1838 में प्रस्ताव रखा कि एक कानून बनाकर समस्त ग्रामों के लिए विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य बना दिया जाय। कैप्टन विनगेटने जो बम्बई के रेवेन्यू सर्वे कमिश्नर थे, यह प्रस्ताव किया कि भूमि–राजस्व पर पाँच प्रतिशत कर लगा कर प्राप्त धन से कृषकों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सन् 1859 में गुजरात के एजुकेशनल इस्पेक्टर टी0सी0 होप ने भी सुझाव रखा कि एक कानून द्वारा किसी स्थान के निवासियों को स्थानीय कर लगाकर अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए। सन् 1884 में गुजरात के भड़ोच जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल, श्रीशास्त्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने का सुझाव दिया''(अग्निहोत्री, 2008)। इसके बाद दादा भाई नौरोजी एवं ज्योतिबा फुले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की माँग की थी। यद्यपि इनकी माँग को स्वीकार नहीं किया गया। परन्तु इस माँग ने भारतीयों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया।

सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का श्रेय बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ को जाता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को अपनी प्रजा की शिक्षा में बहुत रूचिथी। अतः सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात् उन्होंने अपने राज्य के विभिन्न भागों में प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की आज्ञा दी। मार्च, 1892 में उन्होंने रचनात्मक कदम उठाया। एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया गया कि अमरेली नगर के एक ताल्लुका के 9 ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। 7 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों और 7 से 10 वर्ष की आयु तक की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवम्बर 1893 में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य आरम्भ किया गया और इसमें इतनी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई कि उपर्युक्त ताल्लुका के 52 ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अमरेली में 15 वर्ष तक किए जाने वाले इस नवीन प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि सम्पूर्ण बड़ौदा राज्य के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य किया जाना उपयुक्त और वांछनीय होगा। अतः 1906 में एक अधिनियम बनाकर राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यकर दी गयी।

गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की माँग में सार्थक प्रयास किये। गोखले ने (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल) में सन् 1906, 1907 एवं 1908 में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था पर भाषण दिया। ब्रिटिश सरकार से सकारात्मक परिणाम न आने पर सन् 19 मार्च 1910 को केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया ''यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाए और इस सम्बन्ध में सरकारी एवं गैरसरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाए,''। परन्तु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गये। परिणामतः इसी

प्रस्ताव को 16 मार्च1911 को केन्द्रीय सभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया। इस विधेयक की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी–

- जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा उन क्षेत्रों के अभिभावकों को 6 से10 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना अनिवार्य होगा।
- इस शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय विकास और प्रान्तीय सरकारें 1 : 2 के अनुपात में वहन करेंगी।
- 10 रु प्रति माह से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
-

परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विधेयक का विरोध स्वयं भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने किया। इसी क्रम में सन् 1918 में विठ्ठल भाई पटेल के प्रयासों से बंबई म्यूनिसिपिल क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई। इसका अनुकरण करते हुए 1919 में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, 1920 में मध्य प्रदेश तथा मद्रास में 1926 में असम में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम बनाये गयें।सन् 1937 में हमारे देश के प्रान्तों में स्वसरकारों का गठन हुआ और तत्कालीन 11 में से 7 प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने सत्तारुढ़ होकर प्राथमिक शिक्षा के विकास को सम्भव बनाया। उन्हानें अपने प्रान्तों एवं स्थानीय संस्थाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देकर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयत्न किया। उसी वर्ष एम. के. गांधी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा योजना (बेसिक शिक्षा) प्रस्तुत की। कई प्रान्तीय सरकारों ने इस योजना को उसी समय लागू कर दिया। परन्तु तभी सन् 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के त्याग पत्र देने से बेसिक शिक्षा की योजना अधर में पड़ गई।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जान सार्जेण्ट भारत में शैक्षिक विकास पर एक स्मृति पत्र तैयार करके 1944 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस अभिलेख में प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बेसिक शिक्षा योजना को ही स्वीकार किया गया। इस योजना में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लड़कों–लड़कियों के लिए सार्वभौमिक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई। दुर्भाग्यवश यह योजना लागू नहीं हो सकी।

अनिवार्यएवं निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा : स्वतंत्रता के पश्चातः–

स्वाधीनता के बाद भारत के सामने जो अनेक समस्याएँ उपस्थित थी उनमें एक सबसे विकट समस्या, शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की थी। ऐसी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता थी जिससे पाठशाला जाने योग्य बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता के समय प्रारम्भिक शिक्षा की दशा दयनीय थी। उस समय भारत की लगभग14प्रतिशत जनसंख्या पढ़ना–लिखना जानती थी। निरक्षरता, सामाजिक–आर्थिक असमानता, लिंग भेद और कठोर जातिगत भेदभाव जैसे कारणों से शैक्षिक असमानता और भी गंभीर रूप लेती जा रही थी।

हमारे संविधान निर्माताओं ने इस स्थिति के घातक परिणामों से बचने के लिए संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद–45 में यह व्यवस्था की कि ‘‘राज्य इस संविधान के आरम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।’’

सन् 1951 में बने 'प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन समिति' ने अपने संस्तुति में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सार्वभौमिक व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देना चाहिए साथ ही कहा कि सम्पूर्ण शैक्षिक व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए।1964 में शिक्षा के सम्पूर्ण स्तरों की विस्तारपूर्वक जाँच के लिए गठित 'कोठारी आयोग' (1964–66) ने भी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को चरितार्थ करने की बात स्वीकार की। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (1968) ने संविधान की धारा–45 के अनुरूप 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न किए जाने की संस्तुति की। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (1986) के खण्ड पाँच में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिनीकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के नामांकन तथा विद्यालय में बने रहने कासार्वजनिनीकरण करने तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य(1992) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद–21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार बताते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद–21के तहत प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है तथा निजी विद्यालयों द्वारा केपिटेशन शुल्क नागरिकों के इस अधिकार का उल्लंघन है।प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश(1993) केस में शिक्षा को मूल अधिकार माना और इसे 14 वर्ष के बच्चों तक सीमित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में यह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा,(कुमावत2010)।इसी क्रम में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रियों की संयुक्त समिति (सैकिया समिति) 1997ने निर्णय लिया कि संविधान संशोधन करके 6.14 आयु वर्ग बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए तथा माता–पिता/अभिभावक को इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने को मूल कर्तव्य में जोड़ना चाहिए।

सैकिया समिति (1997) के प्रतिवेदन के परिणामस्वरुप वर्ष 2002 में 86वाँ संविधान संशोधन द्वारा नया अनुच्छेद–21(क) जोड़कर इसे मूल अधिकार के रूप में अध्याय–3 में शामिल कर लिया गया, जो इस प्रकार है– ''राज्य 6.14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपलब्ध करेगा।'' इसके साथ ही भाग–4 मूल कर्तव्य में भी संशोधन कर अनुच्छेद 51(ट) जोड़ा गया जिसके अनुसार ''माता–पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बच्चेया प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें''। इसी संविधान संशोधन में अनुच्छेद–45 को भी संशोधित कर इस प्रकार किया गया कि– ''राज्य 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बच्चों के बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा के अवसर प्रदान करने लिए अवसर उपलब्ध करेगा''।

अक्टूबर, 2003 में उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा (रूपरेखा) तैयार कर अक्टूबर 2003 में इसे वेवसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आमंत्रित किये गये। 2003 मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक का संशोधित प्रारूप तैयार कर वेब पोर्टल पर डाला गया।
86वाँ संविधान संशोधन के आलोक में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) ने प्रारम्भिक शिक्षा के सन्दर्भ में कुछ संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जो इस प्रकार है–

- 86वें संविधान संशोधन का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार को शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून को अवश्य लागू करना चाहिए।
- शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का अधिकांश हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए।
- शिक्षा के अधिकार संबंधी केन्द्रीय कानून में इस कार्य के लिए अवश्य वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।

14 जून 2006 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैबद्धने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे 'नैक' के पास भेजा। 'नैक' ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के पास भेजा।यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत किया गया, राज्यसभा ने इस बिल को जुलाई 20, 2009 को व लोकसभा ने अगस्त 4, 2009 को पारित किया तथा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल, 2010 से जम्मूऔर कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होते ही 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीक के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया। इस अधिनियम के महत्व को समझते हुए अन्य राज्यों ने इसके अनुपालनार्थ इसेअलग–अलग अवधि में लागू किया, जिसका विवरण अग्र दिए गए तालिका संख्याः–1 में है।

तालिका संख्याः–1

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में लागू हाने का समय

क्र0 स0	राज्य का नाम	समय	क्र0स0	राज्य का नाम	समय	क्र0स0	राज्य का नाम	समय
1	आन्ध्र प्रदेश	22 फरवरी 2011	10	मध्य प्रदेश	26 मार्च 2011	19	तमिलनाडु	12 नवम्बर 2011
2	अरूणांचल प्रदेश	3 जून 2010	11	उत्तराखण्ड	31 अक्टूबर 2011	20	उड़ीसा	27 सितम्बर 2010
3	असम	11 जुलाई 2011	12	पश्चिम बंगाल	16 मार्च 2012	21	नागालैंड	21 मार्च 2011
4	छत्तीसगढ़	15 नवम्बर 2010	13	उत्तर प्रदेश	27 जुलाई 2011	22	त्रिपुरा	2011
5	झारखण्ड	11 मई 2011	14	हरियाणा	1 नवम्बर 2011	23	मेघालय	1 अगस्त 2011
6	कर्नाटक	28 अप्रैल 2011	15	गुजरात	18 फरवरी 2012	24	मणिपुर	21 अक्टूबर 2011
7	केरला	जनवरी 2011	16	राजस्थान	29 मार्च 2011	25	बिहार	2011

8	महाराष्ट्र	22 मई 2012	17	पंजाब	6 अक्टूबर 2011	26	गोवा	26 जुलाई 2012
9	मिजोरम	2011	18	हिमांचल प्रदेश	5 मार्च 2011	27	सिक्किम	11 अगस्त 2010

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया अत्यन्त ही दूरगामी कदम है। इससे देशकी शिक्षा व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन अपेक्षित है।जीवन की आधारशिला वास्तव में प्रारम्भिक शिक्षा से ही रखी जाती है क्योंकि जो आदतें, मूल्य एवं सामाजिक विकास उस अवधि में अर्जित किये जाते हैं, वे जीवन भर बने रहते हैं। यही वह नींव भी है जिस पर राष्ट्र के विकास की ऊँचाई निर्धारित होती है।

निष्कर्ष–

शिक्षा रुपी बुनियाद जितनी ही मजबूत होगी विकास की सम्भावनाएँ उतनी ही प्रबल होंगी। भारत में सन् 2002 में 6–14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संसद द्वारा 86 वाँ संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू होने के पश्चात 6–14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार मिल गया है।

स्रोत–संदर्भ

- अनामिका वर्मा एवं कुमुद रंजन (2016) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याएँ:पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में, पी.एच0डी थीसिस, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- अग्निहोत्री,आर0 (2008). आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएँ और समाधान, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृ0सं0 70
- फारूकी, उमर (2011). शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार, कुरूक्षेत्र, 59(7), 3–7, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग,सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
- वामज़ई, के (2010) कैसे लागू होगा अधिकार, इंडिया टुडे, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, नोएडा, 16।
- व्यास, कैलास चन्द्र (1999). शिक्षाका सार्वभौमीकरण क्यों और कैसे,प्राथमिक शिक्षक, 24(3), 15–20, नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर.टी.
- सद्गोपाल, अनिल (2009). संसद में शिक्षा का अधिकार छीनने वाला बिल, (द्वितीय संस्करण), भोपालः किशोर भारतीय सरोकार अकादमी।
- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66). शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति. नई दिल्लीः भारत सरकार।
- पाण्डेय,वी0 के0 (2006). प्राथमिक शिक्षाः प्रगति एवं चुनौतियाँ, प्राथमिक शिक्षक,31(3), 51–57।
- पंकज, तिलकराज (2005). सर्वशिक्षा अभियान एवं प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्राथमिक शिक्षक, 30(2) 35–39, नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर.टी.।

- विलानिलम, जे0 वी0. (2012). भारत में शिक्षा व्यवस्था:1947–2012, योजना,56(8), 24–28, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग,सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
- मेहरोत्रा, ममता एवं शर्मा, महेश (2012). शिक्षा का अधिकार, (प्रथम संस्करण), नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।
- कुमावत, योगेन्द्र कुमार (2010). बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, प्रतियोगिता दर्पण, पृ0सं0 1823–1825
- प्रपन्न, कौशलेन्द्र. (2012). भारत में प्राथमिक शिक्षा, योजना, 56(8), 55–56, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग,सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।